



2026:AHC:57897

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा

482 बी.एन.एस.एस. संख्या - 2133/2026

गुलाम हुसैन

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : मनोज कुमार श्रीवास्तव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 72

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक की ओर से दायर अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक की ओर से, श्री उमा शंकर मिश्रा, विद्वान ए.जी.ए., राज्य की ओर से सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
3. वर्तमान आवेदन, मुकदमा अपराध संख्या 679/2024, अन्तर्गत धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 191(2), 324(4), 115(2), 352, 351(2) बी.एन.एस., थाना बिथरी चैनपुर, जिला बरेली, में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. विद्वान अधिवक्ता, आवेदक की ओर से, यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस वाद में मिथ्या फँसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सूचनाकर्ता के पुत्र और पुत्रवधू ने पहले ही एक अन्य सह-अभियुक्त के पक्ष में एक विक्रय विलेख निष्पादित किया था और आवेदक उक्त विक्रय विलेख का सीमांत साक्षी है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उक्त विक्रय विलेख अभी भी अस्तित्व में है और उसे रद्द नहीं किया गया है तथा उक्त विक्रय विलेख के निष्पादकों ने वर्तमान वाद दायर नहीं किया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है तथा विवेचना अभिकरण या न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित हो, उपस्थित होगा। यह अभिकथित किया गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा तथा जमानत की सभी शर्तों का अनुपालन करेगा।

5. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, अभियुक्त व्यक्ति एक जाली विक्रय विलेख के आधार पर सूचनाकर्ता के पुत्र और पुत्रवधू की संपत्ति हड़पने का प्रयास कर रहे हैं और आवेदक उक्त विक्रय विलेख का साक्षी है। उक्त विक्रय विलेख अभी भी अस्तित्व में है और उसे रद्द नहीं किया गया है तथा उक्त विक्रय विलेख के निष्पादकों ने वर्तमान वाद दायर नहीं किया है और आवेदक उक्त विक्रय विलेख का सीमांत साक्षी है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

7. यह उल्लेखनीय है कि **सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694**, के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत निर्णीत करते समय न्यायालय को अभियोग की प्रकृति और गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त, अभियुक्त के न्याय से फरार होने की संभावना पर विचार करना चाहिए तथा न्यायालय को अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए और अभियुक्त की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

8. वर्तमान वाद में, अग्रिम जमानत के संबंध में स्थापित विधि के सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें, आवेदक की भूमिका तथा वाद की सभी संलग्न तथ्यों और परिस्थितियों

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

9. अग्रिम जमानत आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

10. आवेदक- **गुलाम हुसैन** की उपर्युक्त मुकदमा अपराध में गिरफ्तारी की स्थिति में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो प्रतिभू प्रत्येक उसी धनराशि की प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

(i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा संबंधित न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसे छूट न दी जाए;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे उसे/उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा तथा जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

11. किसी भी शर्त के व्यतिक्रम की स्थिति में, अभियोजन पक्ष को आवेदक को प्रदत्त अग्रिम जमानत को रद्द करने हेतु उचित आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

20 मार्च, 2026

आरकेएम